

केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम की केन्द्रांश, राज्यांश
एवं राज्य स्कीम (राज्यांश सहित) राशि

3/यो0-26/2017(खंड)
बिहार सरकार
समाज कल्याण विभाग

पत्र संख्या-

स्वीकृत्यादेश
(संख्या /2018-19)

प्रेषक,

संयुक्त निदेशक (मु0),
समाज कल्याण विभाग।

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक -

विषय:-

मुख्यमंत्री सामाजिक सहायता एवं प्रोत्साहन छत्र योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में पेंशन योजनाओं के विभिन्न अवयवों एवं अन्य योजनाओं हेतु केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के राज्य अंशदान (Topup) की राशि रु. 111291.72 लाख (रु. एक हजार एक सौ बारह करोड एकानवे लाख बहत्तर हजार) एवं राज्य स्कीम में रु. 14752.00 लाख (रु. एक सौ सैतालिस करोड बावन लाख) यानी कुल रु. 126043.72 लाख (रु. एक हजार दो सौ साठ करोड तैतालिस लाख बहत्तर हजार) मात्र के अतिरिक्त व्यय की स्वीकृति।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि समाज कल्याण विभाग के जापांक सं0- 5725 दिनांक 27.11.2017 के क्रम में राज्य सरकार द्वारा विभिन्न सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं, मृत्यु अनुदान योजनाओं, विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना एवं अन्य सामाजिक सहायता योजनाओं का संचालन, मुख्यमंत्री सामाजिक सहायता एवं प्रोत्साहन छत्र योजना के अधीन कार्यान्वित करने का निर्णय लिया गया है। वित्तीय वर्ष 2018-19 में स्वीकृत्यादेश संख्या 01 दिनांक 18.04.2018 द्वारा 284708.26 लाख रु (दो हजार आठ सौ सैतालिस करोड आठ लाख छब्बीस हजार रु0) की स्वीकृति दी गयी है। अतिरिक्त राशि की आवश्यकता के आलोक में प्रथम अनुपूरक से मुख्यमंत्री सामाजिक सहायता एवं प्रोत्साहन छत्र योजना हेतु केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के राज्य अंशदान (Top Up) की राशि रु. 111291.72 लाख (रु. एक हजार एक सौ बारह करोड एकानवे लाख बहत्तर हजार) एवं अन्य राज्य स्कीम में रु. 14752.00 लाख (रु. एक सौ सैतालिस करोड बावन लाख) यानी कुल रु. 126043.72 लाख (रु. एक हजार दो सौ साठ करोड तैतालिस लाख बहत्तर हजार) मात्र अतिरिक्त प्रावधानित किया गया है, जिसके व्यय की स्वीकृति निम्न प्रकार दी जाती है :-

क्र	योजना का नाम एवं विपत्र कोड	विपत्र कोड	विषय शीर्ष	PFA S Code	स्वीकृति की राशि
(राशि रु. लाख में)					
केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम का राज्य अंशदान					
1	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना-सामान्य घटक	(51-2235031010301)	0301.3106	3163	77530.22
	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना - विशेष घटक	(51-2235037890301)	0301.3106	3163	25791.06
2	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना - सामान्य घटक	(51-2235031010303)	0303.3106	3167	6000.00
	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना - विशेष घटक	(51-2235037890302)	0302.3106	3167	1970.44
योग:-1 (रु. एक हजार एक सौ बारह करोड एकानवे लाख बहत्तर हजार)					111291.72
राज्य स्कीम					
3	लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना - सामान्य घटक	(51-2235601020105)	0105.3106		4400.00
	लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना - विशेष घटक	(51-2235607890102)	0102.3106		1372.78
4	बिहार निःशक्तता पेंशन योजना - सामान्य घटक	(51-2235601020104)	0104.3106		6200.00

	बिहार निःशक्तता पेंशन योजना -विशेष घटक	(51-2235607890103)	0103.3106	1950.08
5	राज्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना - सामान्य घटक	(51-2235601020101)	0101.3106	350.00
	राज्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना - विशेष घटक	(51-2235607890104)	0104.3106	113.86
6	बिहार शताब्दी कुष्ठ कल्याण योजना	(51-2235021040106)	0106.3106	365.28
योग:-2 (रु. एक सौ सैतालिस करोड बावन लाख)				14752.00
कुल (योग 1+2):- (रु. एक हजार दो सौ साठ करोड तैतालिस लाख बहत्तर हजार)				126043.72

- स्वीकृत राशि की निकासी एवं व्ययन हेतु सामाजिक सुरक्षा निदेशालय (मुख्यालय) स्तर पर निदेशक, सामाजिक सुरक्षा, जिला स्तर पर सभी सहायक निदेशक/प्रभारी सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी घोषित हैं।
- उक्त स्वीकृत राशि के विरुद्ध सामाजिक सुरक्षा निदेशालय द्वारा निर्गत आवंटनादेश के आधार पर ही राशि की निकासी एवं व्ययन किया जायेगा। इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु बिहार वित्तीय नियमों का पालन करने की जिम्मेवारी संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।
- राशि की निकासी एवं व्ययन वित्त विभाग के पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.98, पत्रांक 3758/वि0 दिनांक 31.05.17, पत्रांक 378/वि0 दिनांक 16.01.18, पत्रांक 354/वि0 दिनांक 28.03.18, पत्रांक 662/वि0 दिनांक 02.08.2018 तथा समय-समय पर निर्गत अन्य अनुदेशों / परिपत्रों के अनुसार किया जायेगा।
- यह स्वीकृत्यादेश संचिका संख्या-3/यो0-26/2017(खंड) के टिप्पणी पृष्ठ संख्या 11/टि0 पर दिनांक 20.08.2018 को माननीया मंत्री, समाज कल्याण विभाग के अनुमोदनोपरान्त निर्गत की जा रही है।
- यह स्वीकृत्यादेश संचिका संख्या-3/यो0-26/2017(खंड) के टिप्पणी पृष्ठ संख्या 10/टि0 पर दिनांक 13.08.218 को आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति के उपरांत निर्गत की जा रही है।
- यह चालू योजना है। अतः महालेखाकार, बिहार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

विश्वासभाजन

ह0/-

(विजय रंजन)

संयुक्त निदेशक (मु0)।

जापांक-3/यो0-26/2017(खंड)

दिनांक-

प्रतिलिपि -महालेखाकार (लेखा परीक्षा) बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (बजट शाखा)/ समाज कल्याण विभाग (बजट शाखा)/निदेशक, सामाजिक सुरक्षा निदेशालय, निदेशक, समाज कल्याण निदेशालय, निदेशक, आई0सी0डी0एस0 निदेशालय, बिहार, पटना/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी, निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, सामाजिक सुरक्षा निदेशालय, बिहार, पटना/मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी/वरीय प्रशासी पदाधिकारी, सक्षम, अपना घर, बेली रोड, पटना/सभी सहायक निदेशक/प्रभारी सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/-

संयुक्त निदेशक (मु0)।

जापांक- 3/यो0-26/2017(खंड) 25

दिनांक- 24/8/2018

प्रतिलिपि -कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन/ कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन/कोषागार पदाधिकारी, विश्वेश्वरैया भवन पटना/सभी जिला कोषागार पदाधिकारी/ सभी उप कोषागार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

संयुक्त निदेशक (मु0)।